तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3379/2004/पाली धन्नाराम बनाम रामा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2021	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री ओमकार लाल दवे, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री डूंगरसिंह राठौड अप्रार्थी के। **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-07-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद एक मरे हुये प्रतिवादी के विरूद्ध एवं दो प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात उनके कायममुकाम की कार्यवाही नहीं करने के कारण परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2004 से वाद अबैट मानते हुये खारिज कर दिया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण/वादीगण ने एक नया वाद धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय धारा 212 के प्रार्थना पत्र के साथ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 19.7.2004 को एकतरफा बहस सनुकर प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी। परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3379/2004/पाली धन्नाराम बनाम रामा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 12.07.2007 को वादीगण का जो दावा खारिज किया उसमें वादीगण ने लिखा था कि वादी व प्रतिवादीगण सह काश्तकार है इसलिए वादी के साथ उन्हें भी खातेदार दर्ज किया जावे और दिनांक 12.07.04 को दावा खरिज करने के बाद निर्णय में बढाई गई एक लाईन की आड में नया दावा पेश किया जिसमें कहा कि प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है लेकिन कब्जा वर्ष 1954 से वादीगण का ही चला आ रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/प्रार्थी शुरू से विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं सरकार को लगान भी जमा करा रहे है। अप्रार्थी/वादी ने केवल मौखिक रूप से अपना कब्जा बताया है राजस्व रिकार्ड में कही भी उनका नाम दर्ज नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकतरफा में पारित किया है एवं प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान भी नहीं किया गया इसलिए उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अतं में प्रार्थी ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा वर्ष 1954 में कब्जा किया गया था और तभी से अप्रार्थी विवादित आराजी पर निरंतर कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इस लंबी अवधि के दौरान प्रार्थी व उसके हस्तांतरियों द्वारा किसी प्रकार की बेदखली कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध नहीं की गयी है। इतनी लंबी अवधि गुजरने के पश्चात प्रार्थी द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जा रही है जो विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि लंबी अवधि निरंतर कब्जा काश्त में होने से विधि अनुसार भी अप्रार्थी को रिकार्डेड खातेदार के अधिकार प्राप्त हो गये है व प्रतिकूल कब्ज के आधार पर भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3379/2004/पाली धन्नाराम बनाम रामा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.07.04 के अंतिम पैरा में अंकित किया है किः– '' भूमि पर वर्ष 1954 से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति अग्रिम ओदश तक दोनों पक्षों द्वारा बनाये रखने के लिए धारा 212 आर0टी0एक्ट सहठित धारा 39 नियम 1, 2 सी0पी0सी0 सपटित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी जारी की जाती है।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा उनके यहां प्रस्तुत लंबित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.07.04 को पारित की गयी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.08.2004 नियत की गयी। प्रकरण अभी भी परीक्षण न्यायालय में लंबित चल रहा है। पक्षकारों के मध्य विवाद और बाद बाहुल्यता नहीं बढे इस स्थिति में हम धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुये परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली को यह निर्देश देना उचित समझते है कि वह उनके यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्षों की समुचित सुनवाई करते हुये दो माह में निस्तारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3379/2004/पाली धन्नाराम बनाम रामा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करे, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखेगें। उभयपक्ष परीक्षण न्यायालय के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होवें। प्रकरण उक्तानुसार निर्णित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	